कार्यलय— जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मनीष कुमार बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 180 / 2023 (ऑनलाईन नं.)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी मनीष कुमार अन्याव पुत्र नवरतनमल जाति ओसवाल, निवासी वर्धमान स्कूल के पास, बालोतरा, जिला बालोतरा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.04.23. में उसके द्वारा (1) नगर परिषद के नगरीय क्षेत्र में विवाह आयोजन एवं अन्य व्यवसायिक कार्यो हेतु नवीन रिसोर्ट लगाने के संबंध में नवीनतम नियमावली / आदेशों / निर्देशो से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 941 दिनांक 03.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2023 का शाखा में संधारित दायर रजिस्टर का अवलोकन कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर नहीं हुआ है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। .आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर() जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	